आप यह गारन्टी दीजिए कि मेम्बर की लाइफ सेफ रहेगी ।

अध्यक्ष महोदय : आप ने जो अख्तियारात मुझे दिए है, उस में जो हो सकता है, वह करेंगे ।

(Interruptions)

---

12 22 hrs.

ARREST AND REMAND OF MEMBER

MR. SPEAKER : I have to inform the House that I have received the following communication dated 27 February, 1984, from the Deputy Commissioner of Police, New Delhi District, New Delhi, today :-

"Kindly refer to this office letter dated 27.2.1984, informing you that Shri L.S. Tur, Member of Parliament, was arrested in case FIR No 108 dated 27.2.1984 under section 2 of Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 and Section 188 IPC, Police Station, Parliament Street, New Delhi.

He, along with others was produced in the Court of the Metropolitan Magistrate, Patiala House, New Delhi, who remanded them to judicial custody till 10.3 1984 and sent them to Central Jail, Tihar."

---

12 23 hrs.

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

Hundred and Seventy-fifth Report

SHRI SUNIL MAITRA (Calcutta North East) : Sir, I beg to present the Hundred and Seventy-fifth Report (Hindi and English versions) of the Public Accounts Committee on para 11 of the Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year 1980-81, Union Government (Civil) relating to Drought Prone Area Programme.

(Interruptions)

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, गिरफ्तारी कल हुई थी, इत्तिला आप आज दे रहे है ।

अध्यक्ष महोदय : कल के बुलेटिन में आ गया था

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

Fifty-fifth Report

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, SPORTS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BUTA SINGH) :I beg to move :

"That this House do agree with the Fifty-fifth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 27th February, 1984."

MR. SPEAKER : Motion moved

"That this House do agree with the Fifty-fifth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 27th February, 1984."

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हू कि इस प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाय -

"इस संशोधन के अध्यधीन कि प्रतिवेदन के पैरा 3 के उप पैरा (एक) का लोप किया जाय ।" (1)

[श्री रामविलास पासवान]

मैं इसे लोप क्यों करना चाहता हूं—इस लिये कि इस में जो अन्तिम पैरा है उस में लिखा है कि

> "आधे घंटे की चर्चा, नियम 193 के अधीन मामलों अथवा अनियत दिन वाले प्रस्तावों पर चर्चा को अपराह्न 6 बजे लिया जाय।"

ऐसा उस वक्त तक चलेगा जब तक कि वित्तीय कार्यों का निपटारा नहीं हो जाता मैंने इस सम्बन्ध में उन माननीय सदस्यों से बात की है जो बिजनेस एडवाइजरी समिति की मीटिंग में गये थे। उन का कहना है कि इस तरह का कोई निर्णय वहां नहीं हुआ था। जहां तक यह कहा गया है कि आधे घंटे की चर्चा, नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा या अनियत दिन वाले प्रस्ताव पर चर्चा सप्ताह में एक से अधिक बार न की जाय—यह समझ में आता है, लेकिन लोक महत्व के विषय को 6 बजे के बाद लिया जाय, यह बात समझ में नहीं आती है क्योंकि उस का कोई उपयोग नहीं रह जायगा। प्राय: ऐसा होता है कि 6 बजे के बाद जिन सदस्यों को उस विषय पर बोलना होता है, वे ही सदन में रह जाते है। दूसरे सदस्य चले जाते है। इस लिए मैं आग्रह करना चाहूंगा कि कोई भी चर्चा हो उस के लिए समय का निर्धारण नहीं होना चाहिए। सदन स्वयं इस चीज को देखेगा कि उस लोक महत्व के विषय को 4 बजे लिया जाय या 6 बजे लिया जाय। इस को यहां पर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। वित्तीय कार्य अप्रैल के अन्त तक चलेंगे, इस का मतलब है कि कोई भी लोक महत्व का विषय 6 बजे से पहले नहीं लिया जा सकेगा। इस लिए ऐसा निर्णय हाउस की जो भावना है उस के विपरीत है। मैं आग्रह करता हूं कि मंत्री महोदय इस को वापस लें। और जैसा हो रहा है वैसे चलने दिया जाए जब मोशन का समय आएगा या प्रस्ताव का समय आएगा, तो उस के महत्व को देखते हुए सदन विचार कर लिया करे कि कितना समय उस को दिया जाए।

श्री बूटा सिंह : माननीय सदस्य ने जो यह कहा है कि जैसा चलता है, वैसा ही चलने दिया जाए, तो मेरा कहना यह है कि जैसा चलता आया है, वैसा ही चलेगा।

श्री राम विलास पासवान : आप ने लिखा है कि हाफ-एन-आवर 6 बजे के बाद लिया जाए।

श्री बूटा सिंह : कब से ऐसा चला है, वह मैं बताता हूं। 1977 में चला, 1978 में चला, 1979 में चला और सन् 1980 में चला।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : आप ने उस समय विरोध नहीं किया, तो हम क्या करें। हम अब इस का विरोध कर रहे है।

श्री बूटा सिंह : आप ने जो किया था, वही हम कर रहे हैं।

श्री जगपाल सिंह : आप उस समय चुप बैठे रहे, तो क्या हम भी चुप बैठे रहे।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : 1981 में क्या हुआ और 1982, 1983 में क्या हुआ?

श्री बूटा सिंह : सन् 1980 में ऐसा चला, 1981 में चला, 1982 में चला, सन् 1983 में चला और 1984 में चलाने की चेष्टा हो रही है ।

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY (Calcutta South) : Sir, this has been going on Now, actually we did not agree to it that this will be taken up at 6.00 P.M I think as and when the occasion arises, the B.A.C. will take the decision.

MR. SPEAKER : I shall now put the amendment moved by Shri Ram Vilas Paswan to the vote of the House.

Amendment No. 1 was put and negatived.

MR. SPEAKER : Let the *status quo* remain. जैसा चल रहा है वैसा कर लेंगे ।

श्री बूटा सिंह : सन् 1977 से चल रहा है । (**व्यवधान**) ..

अध्यक्ष महोदय : जब इच्छा होगी, तो सलाह कर के कर लेंगे ।

श्री बूटा सिंह : अध्यक्ष महोदय, आज क्योंकि बहुत सा समय ऐसे ही निकल गया है और आज की कार्यवाही में इस के लिए कोई समय नहीं था, इसलिए मेरा आप से निवेदन है कि लंच आवर में भी बैठकर हम कार्यवाही जारी रखें ।

MR. SPEAKER : All right. I hope the House agrees.

SEVERAL HON. MEMBERS : Yes.

MR. SPEAKER : The question is :

"That this House do agree with the Fifty-fifth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 27th February, 1984."

The Motion was adopted.

12.28 hrs

GANESH FLOUR MILLS COMPANY LIMITED (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) BILL*

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI BHAGWAT JHA AZAD) : I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the application and transfer of the right, title and interest of certain undertakings of the Ganesh Flour Mills Company Limited with a view to sustaining and strengthening the nucleus of public owned or controlled units required for ensuring supply of wholesome vanaspati and refind edible oils, nutritious food and other consumer commodities to the public at reasonable prices and thereby to give effect to the policy of the State towards securing the principles specified in clauses (b) and (c) of article 39 of the constitution.

MR. SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the acquisition and transfer of the right, title and interest of certain undertakings of the Ganesh Flour Mills Company Limited with a view to sustaining and strengthening the nucleus of

*Published in Gazatte of India Extra-ordinary Part II, Section 2 dated 28.1.1984.